



भारतीय रिजर्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindiWebsite : www.rbi.org.inई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फॉर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

मे २६, २०२५

मुश्तिमान डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को-अपारेटिभ ब्यांक लिमिटेड, पश्चिमबঙ्ग-एर उपर आरबिआइ आर्थिक जरिमाना आरोप करल

भारतीय रिजर्व ब्यांक(आरबिआइ), मे 22, 2025 दिनांकित एकटि आदेश द्वारा, आरबिआइ द्वारा जारीकृत 'आपनार ग्राहकके जानुन (Know Your Customer (KYC) एवं ' समवाय ब्यांकसमूह (Co-operative Banks) कर्त्तक क्रेडिट इनफर्मेशन कोम्पानि (CIC)-एर सदस्यता ('Membership of Credit Information Companies (CICs) by Co-operative Banks') संक्रान्त निर्देशबिधि-समूहेर अननुपालनकार्य-एर मर्मे मुश्तिमान डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को-अपारेटिभ ब्यांक लिमिटेड, पश्चिमबঙ्ग (ब्यांक)-एर उपर ₹2.10 लाख (दुइ लाख दश हजार टाका मात्र) -एर आर्थिक जरिमाना आरोप करेछे। एই दंडटि आरोप करा हयेहे ब्यांकिं रेग्लेशन अ्याकॉ, 1949 (Banking Regulation Act, 1949) एर धारा 47A (1) (c) तेसह पठित धारा 46 (4) (i) ओ 56 एवं क्रेडिट इनफर्मेशन कोम्पानिज (रेग्लेशन) अ्याकॉ, 2005 (Credit Information Companies (Regulation) Act, 2005)-एर धारा 25 (1) (iii) तेसह पठित धारा 23 (4)-एर विधानसमूहेर अधीने आरबिआइ-ते न्यस्त क्षमताबलेर प्रयोगे।

न्याशनाल ब्यांक फर एग्रिकालचार अ्यान्ड रुरल डेभेलपमेन्ट (नाबार्ड)(National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)) कर्त्तक मार्च 31, 2024 तारिखे ब्यांक टिर आर्थिक परिस्थिति संक्रान्त संबिधिबद्ध निरीक्षण (statutory inspection) सम्पादन करा हय। आरबिआइ निर्देशबिधि-र सापेक्षे अननुपालन कार्येर विषये तत्त्वावधानमूलक सन्धानप्राप्ति (supervisory findings) भिण्ठिते ओ एই विषये सम्पर्कित वार्तायोगायोग-एर सापेक्षे ब्यांक-टिर प्रति एकटि विज्ञप्ति (notice) जारि करा हय एर उपर केन प्रागोक्त निर्देशबिधि समूह अनुपालन क्रिया-ते एर व्यर्थ हওয়ার जন্য दंड आरोप करा हবে ना सेइमर्मे कारণ दर्शनोर परामर्श दিয়ে। बिज्ञপ्ति टिर सापेक्षे ब्यांक टি-র जবाब एবং ब্যक्तिगত शुनानि कালীন পেশ করা মৌখিক দাখিলাদি বিবেচনা করা'র পর आरबिआइ अन्यान्य विषयের সাথে খুঁজে পেয়েহে ये ब्यांकटির विकল्पे निम্নोक्त अভিযोগ धার्य-ক্রিয়া(charges) সঙ্গত ভাবে প্রতিষ্ঠিত एবং आर्थिक जरिमाना आरोप ঘথोपযুক्त:

ब्यांकटि ब্যर्थ হয়েছে:

- i. अ्याकाउन्ट समूহের बँकि श्रेणीबिभाजन संक्रान्त पर्यायभित्तिक समीक्षा (periodic review of risk categorisation of accounts) सम्पादन करতে, एইरकম पर्यायভित्तिकভাবে यে ছয় মাসে অন্তত একবার করা হয়।
- ii. एर ग्राहकদের अ्याकाउन्ट समूहेर KYC-एর पर्यायভित्तिक हালনাগাদকরণ (periodic updation) कরতে; एবং
- iii. एদের ঋণগ্রহীতাগণ (borrowers) –एর विषये ऋণ संक्रान्त তথ্য তিনটি क्रेडिट इनफरमेशन कोम्पानि-কে দাখিল করতে

এই ক্রিয়াপদক্ষেপ-এর ভিত্তি- वিধিসম্পর্কিত(regulatory) অনুপালন কার্যে খামতি एবং ब्यांक कর्त्तক तार ग्राहকের সাথে ক্রিয়াপ্রবিষ্ট কোনও লেনদেন বা सम्भिसनद (agreement)-एर बैधता-र उपर बिचार-प्रभाब आरोप एर अভिप्राय नয়। अধिकন्तु, एই आर्थिक दंड आरोप हয় प্রাক-সিদ্ধান্ত बিনা (without prejudice)-अপर कোনও क্রিয়াপদক্ষেপ-एর सাপেক्षে यা आरबिआइ कর्त्तক ब्यांक टिर बিকল্পে आরম্ভ করা হ'তে পারে।

प्रेस विज्ञप्ति: २०२५-२०२६/४११

(पुनित पाञ्चोलि)
महाब্যবস্